न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 100/2019

प्रार्थीगण :– बनाम अप्रार्थीगण :–

प्रार्थीगण :–

1. नारायणलाल पुत्र शिवराम
2. चम्पादेवी पत्नी नारायणलाल
   जाति–कुमावत, निवासी–बांझाकुड़ी, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

अप्रार्थीगण :–

1. पांचाराम ढाढिया पुत्र हीराराम
   जाति–जाट, निवासी–लौटोती, तहसील–जैतारण, जिला–पाली।
2. दिग्विजयसिंह खोजा पुत्र उम्मेदसिंह
   जाति–जाट, निवासी–हरियाढाणा, तहसील–बिलाड़ा, जिला–जोधपुर।
3. राजीव बेरवाल पुत्र गुलाबचंद
   जाति–जाट, निवासी–जाजासनी, तहसील–मेड़तासिटी, जिला–नागौर।
4. तहसीलदार, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)
5. पटवारी, पटवार हल्का–लौटोती, तहसील–जैतारण, जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 111,128, 131,136 LR Act.

तारीख रजू:. 27/05/2019

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्तागण, प्रार्थीगण।
2. श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।
3. तहसीलदार , जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 24/06/2019

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत 128,131, 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–लौटोती, पटवार हल्का–लौटोती में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 39–15 बीघा किस्म चाही प्रथम आयी हुई थी। नकल जमाबंदी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 232 का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने दिनांक 18/02/2019 को आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लिया था तथा पक्षकारान् में सहमति होने से इन्होने उक्त आराजी का सहमति का बंटवाड़ा लिखकर तहसीलदार जैतारण के समक्ष पेश किया जहां तहसीलदार जैतारण ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब कर पक्षकारान् का बंटवाड़ा का प्रस्ताव स्वीकार कर उक्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा कर दिया एवं प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 232 रकबा 24–15 बीघा एवं अप्रार्थीगण को खसरा नम्बर 232/1 रकबा 15 बीघा का बंटवाड़ा करते हुए राजस्व रेकर्ड में इनका खसरा व रकबा अलग–अलग इन्द्राज कर माफिक सहमति के बंटवाड़े से इनका हिस्सा भी राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग इन्द्राज कर दिया गया नकल सहमति से किया गया बंटवाड़ा व जमाबंदी प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त वर्णित आराजी का आपसी सहमति से बंटवाड़ा होने के पश्चात् हल्का पटवार अप्रार्थीगण संख्या पांच ने राजस्व रेकर्ड के नक्शे में जो तरमीम की थी वह तरमीम पक्षकारान् ने जो बंटवाड़ा किया था उसके अनुसार मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड के नक्शे में नहीं करके गलत इन्द्राज कर दिया जो कि एक सहवन से हुई लिपिकीय त्रुटि है। जिसे दुरूस्त किया जाकर नये सिरे से राजस्व रेकर्ड के नक्शे में पुनः तरमीम करवाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का कानूनन बंटवाड़ा तो सही किय गया परन्तु राजस्व रेकर्ड का जो नक्शा है उसमें तरमीम का गलत इन्द्राज कर दिया गया इसलिए आपसी सहमति से हुए बंटवाड़ा के आधार पर जो राजस्व रेकर्ड के नक्शे में तरमीम की गयी है उस तरमीम को निरस्त करके पुनः नये सिरे से माफिक मौके पर कब्जे के आधार पर पुनः नक्शे में तरमीम की जावे एवं पूर्व में की गयी नक्शे की तरमीम को निरस्त किया जाकर नये सिरे से मौके पर नाप चौप कर एवं पक्षकारान् के कब्जे के आधार पर तरमीम पत्थरगढी की जावें। प्रार्थीगण को दिनांक 02/05/2019 को नक्शे की नकल लेने पर जानकारी हुई कि नक्शे में तरमीम गलत कर दी गयी है जबकि उनके द्वारा सहमति से किया गया बंटवाड़ा सही है इसलिए यह प्रार्थना पत्र अंदर म्याद श्रीमान् के समक्ष पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस वास्ते जबाब प्रा. पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक से तीन की ओर से किशोर कुमावत ने वकालतनामा पेश किया तथा जबाब पेश करना नहीं चाहा एवं प्रार्थी का प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने की सहमति प्रदान की। तहसीलदार जैतारण से उक्त संबंध में वर्तमान वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया सा.मि. किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण /पटवारी हल्का ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें तहसीलदार जैतारण ने अंकित किया की पक्षरान् का मौके पर कब्जा बंटवाड़ा दिनांक 18/02/2019 से भिन्न है। पूर्व में तरमीम सहमति बंटवाड़ा अनुसार की गई है। तथा दिनांक 18/02/2019 के अनुसार की गई तरमीम को अब दुरूस्त/निरस्त कर पक्षकारान् की सहमति से वर्तमान मौका कब्जा अनुसार तरमीम की जाती है तो कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि की तरमीम वर्तमान कब्जे के अनुसार नहीं कि गई है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा मय जो भाग लाल स्याही से दर्शाया गया है उस अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। एवं प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 232 है तथा अप्रार्थीगण का हिस्सा नजरी नक्शे के अनुसार आसमान रंग से दर्शाया गया है जो खसरा नम्बर 232/1 है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार है। और इसी अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का अनुतोष प्रार्थीगण की ओर से चाहा गया है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से उनके अधिवक्ता ने भी नजरी नक्शे को स्वीकार करते हुए जाहिर किया की नजरी नक्शे अनुसार यदि तरमीम की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। बहस वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण तथा सरकारी पैरोकार की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस पर गौर किया गया। तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रदान की गई सहमति के आधार पर तहसीलदार जैतारण को उक्त आराजी की वर्तमान तरमीम को मय नजरी नक्शे अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा–लौटोती, पटवार हल्का–लौटोती में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 232 एवं खसरा नम्बर 232/1 की भूमि के राजस्व लठ्ठा नक्शा की वर्तमान तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का आदेश किया जाता है। निर्णय मय नजरी नक्शे की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/06/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)